XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

28

न्यायालय समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

नामान्तरण पुनरीक्षण वाद संख्या–66/2010

U/S 16, Bihar Tenants Holdings (Maintenance of Records) Act, 1973

1. मुकुन्द चन्द्र साह, पिता–स्व0 रामेश्वर साह
2. दीपनारायण साह
3. शिवनारायण साह — तीनों के पिता–स्व0 रामेश्वर साह
4. नागेन्द्र साह
5. महावीर साह, पिता–स्व0 बिन्चू साह
6. उमेश साह
7. सुरेन्द्र साह — चारों के पिता–स्व0 हरिलाल साह
8. अशोक साह
9. साजन साह
10. सुरजी देवी, पिता–स्व0 मोती साह

सभी का साकिन–तेलियारी, थाना–भवानीपुर, जिला– पूर्णियाँ ..... आवेदकगण

बनाम्

1. ब्रहमदेव साह, पिता–स्व0 जानकी साह

साकिन–तेलियारी, थाना–भवानीपुर, जिला– पूर्णियाँ ..... विपक्षी संख्या–1

2. महेन्द्र साह
3. धीरेन्द्र साह — दोनों के पिता–स्व0 चेतू साह

दोनों का साकिन–तेलियारी, थाना–भवानीपुर, जिला– पूर्णियाँ ..... विपक्षी संख्या–2

आ दे श

आवेदक भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, धमदाहा द्वारा नामान्तरण वाद संख्या–18/1998–99 66/2008–09 में दिनांक 17.03.2010 को पारित आदेश के विरूद्ध यह वाद प्रारम्भ किया है। आवेदक का कथन है कि खाता संख्या–1835, खेसरा संख्या–1306/5424, रकवा–45 डिसमिल, खाता संख्या–1836, खेसरा संख्या–1574, रकवा–97 डिसमिल जमीन के खतियानी मालिक (1) जानकी साह (विपक्षी संख्या–1 के पिता) (2) हंसु साह (3) मोती साह (आवेदक संख्या–10 के पिता) (4) बिन्चू साह (आवेदक संख्या–5 के पिता) एवं (5) चेतू साह (विपक्षी संख्या–2 के पिता) थे। उपरोक्त सभी खतियानी मालिक की मृत्यु हो चुकी है। विपक्षी संख्या–1 को नियमानुसार उपरोक्त दोनों खाता की जमीन में पाँचवा हिस्सा आपसी बंटवारा में प्राप्त हुआ। इस प्रकार विपक्षी संख्या–1 को खाता संख्या–1835 में 09 डिसमिल एवं खाता संख्या–1836 में 19 2/5 डिसमिल जमीन हिस्से में मिला। विपक्षी संख्या–1 खाता संख्या–1836 में 19 2/5 डिसमिल जमीन में से 15 डिसमिल दिनांक 24.10.1997 को निबंधित केवाला द्वारा हीरालाल साह के पास बेच दिया। इस प्रकार विपक्षी संख्या–1 के पास मात्र खाता संख्या–1835 में 09 डिसमिल एवं खाता संख्या–1836 में 4 2/5 डिसमिल जमीन शेष बच गया। विपक्षी संख्या–1 गलत दस्तावेज के आधार पर खाता संख्या–1835,

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

खेसरा संख्या--1306/5424, रकवा--11¼ डिसमिल एवं खाता संख्या--1836, खेसरा संख्या--1574, रकवा--35 डिसमिल जमीन का नामान्तरण वाद संख्या--18/2007--08 द्वारा अंचलाधिकारी, भवानीपुर से करवा लिया। आवेदक उपरोक्त नामान्तरण आदेश के विरूद्ध भूमि सुधार उप--समाहर्त्ता, धमदाहा के न्यायालय में नामान्तरण अपील वाद संख्या--22/1998--99 66/2008--09 दायर किया। निम्न न्यायालय द्वारा बिना किसी प्रकिया का पालन कर वाद को खारिज कर दिया गया, जो नियम के विपरित है। उल्लेखनीय है कि दोनों पक्ष एक ही पूर्वज के वारिस है। अतः आवेदक इस न्यायालय से निवेदन करता है कि वाद की सुनवाई कर निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को खारिज करने की कृपा की जाय।

विपक्षी संख्या--1 का कथन है कि आवेदक द्वारा प्रारम्भ किया गया यह वाद निर्वहन योग्य नहीं है। विपक्षी संख्या--1 का कथन है कि पूरन साह दोनों पक्षों के पूर्वज है और उनके नाम से कुल 11.43 एकड़ जमीन था, जिसका पाँचवा हिस्सा 2.28 3/5 एकड़ जमीन विपक्षी संख्या--1 के हिस्से में था। इसलिये विपक्षी संख्या--1 ने खाता संख्या--1835, रकवा--11¼ डिसमिल जिसमें उसका घर है एवं खाता संख्या--1836, खेसरा संख्या--1574, रकवा--35 डिसमिल जमीन जिसमें वह खेती कर रहा है का नामान्तरण अपने नाम करवाया। निम्न न्यायालय द्वारा भी स्थल जाँच में उपरोक्त जमीन पर विपक्षी संख्या--1 का दखल पाया। अतः विपक्षी संख्या--1 निवेदन करता है कि आवेदक द्वारा प्रारम्भ किये गये इस वाद को खारिज करने की कृपा की जाय।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 30.03.2012 को सुनवाई किया गया। विपक्षी अनुपस्थित थे। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि पूर्व में दिनांक 30.09.2011 को भी सुनवाई हेतु रखा गया था, परन्तु विपक्षी हाजरी देने के बाबजूद भी न्यायालय में अनुपस्थित पाये गये। इस कारण से उन्हें न्यायालय में उपस्थित होने का अंतिम मौका दिया गया था। इसके बाबजूद भी विपक्षी का न्यायालय में उपस्थित नहीं होना स्पष्ट करता है कि इस वाद के निष्पादन में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि विवादित जमीन जमीन के वास्तविक नापी नहीं किया गया है। दोनों पक्ष एक ही व्यक्ति के वारिस है। इस परिप्रेक्ष्य में आवेदक के द्वारा वास्तविक दखल--कब्जा संबंधी नापी कराकर तद्नुसार दाखिल--खारिज की स्वीकृति कराने का अनुरोध किया गया है।

पुनः दिनांक 25.05.2012 को अभिलेख सुनवाई हेतु रखा गया।

उपरोक्त तथ्यों, अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन तथा आवेदक को सुनने के बाद निर्णय लिया जाता है कि इस वाद को अंचलाधिकारी, भवानीपुर को भेजते हुए निदेर्शित किया जाता है कि वे विवादित जमीन का नापी कराकर वास्तविक दखल--कब्जा के आधार पर नामान्तरण स्वीकृत करने की कार्रवाई करेंगे। इस निर्णय के साथ वाद को समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

30/5

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

30/5

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ